

पत्रांक: ORLPS/LSBA/Pmj/58/20/12

दिनांक: 22.04.2020

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय : कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण अंतर्गत संबंधित कर्मियों/स्वच्छाग्रहियों को संक्रमणरोधी उपकरण/संसाधन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

प्रसंग : 1) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक संख्या- S-18011/24/2015-SBM, दिनांक 13 अप्रैल, 2020।

2) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 461109, ग्रा0 वि0-15 स्वच्छता-108/2016 दिनांक 17 अप्रैल 2020।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण की दृष्टि से Containment Zones or Hotspots के रूप में चिन्हित किये गए क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'स्वच्छता' संबंधी कार्य यथा- व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर (Community Sanitary Complex) निर्माण, जियो-टैगिंग, ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) एवं जन-जागरूकता कार्य की अनुमान्यता प्रदान की गई है। इसके दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नितांत आवश्यक है। कार्यस्थल एवं कार्य के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता आचरण एवं संक्रमण से बचाव के लिए निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है -

1. कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम हेतु कार्यस्थल प्रबन्धन :-

- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत निर्माण एवं जनजागरूकता कार्यों के क्रियान्वयन में Social Distancing एवं Face Mask पहनने का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।
- व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर (Community Sanitary Complex) निर्माण/जीर्णोद्धार/रेट्रोफिटिंगके क्रियान्वयन में Social Distancing बनाये रखने के लिये दो मजदूरों के बीच 6 फीट से अधिक की दूरी रखी जाय।
- समुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण स्थल पर कार्य शुरू करने पूर्व ब्लिचिंग पाउडर का छिड़काव का कार्य स्थल को Disinfect कराया जाए।

- (iv) सभी सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिये साबुन/हैंडवाश एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय। कार्यस्थल पर राजमिस्त्री/मजदूरों को कार्य प्रारंभ के पूर्व, विश्राम के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त साबुन /हैंडवाश से अच्छे ढंग से हाथों को धोने तथा घर पहुँचने के बाद भी पुनः हाथ साफ करने के लिये प्रेरित किया जाय।
- (v) एक मजदूर का 'निर्माण कार्य उपकरण' (Construction Equipment) दूसरे मजदूर द्वारा उपयोग नहीं किया जाए।
- (vi) दैनिक निर्माण कार्य संपन्न होने के बाद मजदूरों द्वारा जूते एवं कपड़े निर्माण स्थल पर खोलकर अपने साथ लाए साफ/धुले कपड़े पहनकर घर जाने हेतु प्रेरित किया जाए।
- (vii) राजमिस्त्री/मजदूरों द्वारा घर से कार्य स्थल आनेजाने एवं कार्यस्थल पर कार्य करते समय Face Mask अथवा चेहरे को ढकने के लिए गमछा या छोटा तौलिया के उपयोग को सुनिश्चित किया जाए। मजदूर यत्र-तत्र न थूकें, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (viii) कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को देखते हुये 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के मजदूर/राजमिस्त्री से कार्य नहीं लिया जाए।
- (ix) Quarantine Centre/Isolation Ward से विमुक्त होनेवाले लोगों के मामले में विमुक्ति के पश्चात सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर ही कार्य में लगाया जाए।
- (x) व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्थिति में लाभार्थी या उसके परिवार के सदस्य द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा हो तो उनसे भी उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन कराया जाए।

2. **सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) निर्माण कार्य स्थल पर प्रबंधन:** सभी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण कार्य स्थल पर मजदूरों को Covid-19 से बचाव हेतु समुचित प्रबंध किया जाना है, इसके अंतर्गत प्रत्येक मजदूर/राजमिस्त्री को निम्नवत संक्रमणरोधी संसाधन दिया जाना एवं कार्यस्थल को disinfect किया जाना है, इस हेतु व्यय की सीमा निम्नवत है-

क्रम संख्या	मद	संख्या	व्यय के लिए अनुमान्य अधिकतम रकम
1	कार्य स्थल पर हाथ धोने हेतु साबुन एवं पानी की व्यवस्था (One Time)	-	200.00 रुपया प्रति CSC
2	जीविका द्वारा निर्मित कपड़े का फेस मास्क (2 layered Cotton Mask) (One Time)	2	40.00 रुपये प्रति मजदूर/राजमिस्त्री
3	प्रति निर्माण स्थल पर औसतन पांच मजदूर/राजमिस्त्री के उपर अधिकतम व्यय की सीमा	-	400.00 रुपया
4	कार्यस्थल पर छिड़काव हेतु ब्लीचिंग पाउडर पर व्यय	-	200.00 रुपया
5	प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर कार्य स्थल पर व्यय की सीमा (औसतन पांच मजदूरों के लिए)	-	600.00 रुपया

3. **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के जिला/प्रखंड कार्यालय के कर्मी** (यथा- जिला समन्वयक, जिला सलाहकार, सलाहकार, प्रखंड समन्वयक, जिला एवं प्रखंड कार्यालय में कार्यरत ऑपरेटर एवं कॉल



सेंटर के स्वच्छाग्रही आदि), जो एलएसबीए का मूल कार्य कर हैं, उन्हें निम्नवत संक्रमणरोधी संसाधन दिया जाना है-

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	व्यय के लिए अनुमान्य अधिकतम राशि
1	कार्य स्थल पर हाथ धोने हेतु साबुन/सैनिटाइजर	-	500.00 रुपया प्रति माह
2	जीविका द्वारा निर्मित कपड़े का फेस मास्क (2 layered Cotton Mask) (One Time)	2	40.00 रुपये प्रति कर्मी

4. सक्रिय स्वच्छाग्रहियों के लिए निर्देश : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ऐसे सक्रिय स्वच्छताग्रही (IMIS पर परिलक्षित) जो वर्तमान में एलएसबीए का कार्य यथा- जियो टैगिंग, सर्वेक्षण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण के गुणवत्ता की निगरानी, NOLB अंतर्गत सर्वे, पात्र चयन, आवेदन संकलन एवं वेरिफिकेशन, ओडीएफ-एस एवं स्वच्छता संबंधी जनजागरण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें निम्न संक्रमणरोधी संसाधन दिया जाना है। स्वच्छाग्रहियों द्वारा कार्यस्थल पर बार-बार हाथ धोने हेतु साबुन एवं समुचित पानी की व्यवस्था, Facemask लगाकर कार्य करने, Social distancing सहित सभी संक्रमणरोधी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्हें निम्नवत संक्रमणरोधी संसाधन दिया जाना है, यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका नाम IMIS पर एक्टिव स्वच्छाग्रहियों के रूप में अपडेट है-

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	व्यय के लिए अनुमान्य अधिकतम राशि
1	जीविका द्वारा निर्मित कपड़े का फेस मास्क (2 layered Cotton Mask) (One Time)	2	40.00 रुपये प्रति स्वच्छाग्रही

5. उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु संक्रमणरोधी संसाधन यथा- साबुन, हैंड सेनेटाइजर, फेसमास्क आदि की उपलब्धता **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण Performance Incentive Grants Fund** से की जानी है।

6. सभी एलएसबीए कर्मी/स्वच्छाग्रही/SLWM स्वच्छता मित्रों द्वारा Covid-19 संक्रमण से बचाव हेतु प्रसंगाधीन जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के 'Health and Safety Protocol' (अनुलग्नक-दो) के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है।

निदेशानुसार, उपरोक्त निदेशों के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु सभी संबंधित अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे, जिससे राज्य को 'खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व' एवं संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन (SBM)-ग्रामीण के Performance Incentive Grants Fund से संक्रमणरोधी सामग्री/संसाधन की खरीद हेतु राज्य सरकार के तत्संबंधी वित्तीय नियमावली का अनुपालन करने एवं व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु भी सभी संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

22/04/2020.
(राजीव कुमार सिंह)

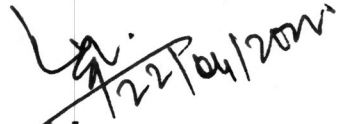
ज्ञापांक: BRLPS/LSBA/Pmj/58/20/12

दिनांक: 22.04.2020

प्रतिलिपि: सभी जिला समन्वयक/जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त- सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


(राजीव कुमार सिंह)

No. S-18011/24/2015-SBM
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Grameen)

4th Floor, Pt. DD Antyodaya Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110003
13th April, 2020

To
Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary
In charge of rural sanitation
Bihar

Subject: Advisory to provide necessary protective items to all the SBM(G) functionaries in the State during the COVID-19 outbreak - reg.

Madam/Sir,

As you are aware, Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)] has been continuously endeavouring to improve overall cleanliness of villages and achieve better health outcomes by improved sanitation facilities. A large number of field functionaries under SBM(G) such as Swachhagrahis, etc. always remain involved in the sanitation activities under the programme. Many of them along with the offices of Block/District/State Coordinators are continuously providing their invaluable services even during the current critical situation occurred due to COVID-19 pandemic outbreak.

2. It is important that all such functionaries are provided with necessary protective gears such as masks, hand gloves, hand sanitizer, disinfectant, etc. to prevent them from getting infected and the inadvertent spread of the infection. It is hoped that the State Government is taking adequate measures to ensure safety of all such functionaries and providing them the necessary protective gears.

3. However, if the State is facing any difficulty in providing the necessary protective items to the SBM(G) functionaries, the same may be provided by using the Performance Incentive Grant funds subject to that your State can use maximum amount of Rs.8.54 crore for this purpose. Further, guidelines of Ministry of Health and Family Welfare for the use of such items may be followed.

4. Additionally, pursuant to the joint advisory issued by the Ministry of Panchayati Raj and the Department of Drinking Water and Sanitation (D.O. No. S/11011/1/2020-SBM-DDWS), State Government may also issue instructions to rural local bodies to use existing funds available with Gram Panchayats to strengthen the cleanliness of village surroundings by purchasing disinfectants e.g. bleaching powder, sanitizers and other necessary arrangements to ensure that village and surrounding areas are clean. This may include the provision of temporary hand washing stations with soap and the periodic disinfection of all sanitation equipment and vehicles.

5. The State may also acknowledge the work being done by the SBM(G) field functionaries through digital platforms and on social media.

Yours faithfully,



(Arun Baroka)
Additional Secretary to the Govt. of India
Tele: 011-24362192,
Email: arun.baroka@nic.in

Copy to: Mission Director/State Coordinator, SBM(G), Bihar

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार

पत्रांक: 461109
ग्रा0वि0-15 स्वच्छता-108/2016

पटना, दिनांक: 17.04.2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग : गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्य किये जाने संबंधी आदेश [संख्या- 40-3/2020-DM-I(A)], दिनांक 16 अप्रैल 2020।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Clause 16 (i) अंतर्गत वर्णित 'ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमान्यता' की सूची में 'स्वच्छता' कार्य को शामिल किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्य (यथा- व्यक्तिगत एवं संस्थागत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण आदि) अन्तर्गत कार्य के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्राप्त निदेशों के आलोक में आवश्यक तैयारी कर ली जाय एवं निम्नांकित शर्तों के अधीन दिनांक 20.04.2020 से कार्य का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाय:-

1. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन उन क्षेत्रों में नहीं किया जायेगा जहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की दृष्टि से Containment Zones or Hotspots के रूप में चिन्हित किये गये हैं।
2. कोरोना वायरस(Covid-19) की रोकथाम हेतु कार्यस्थल प्रबन्धन :-
 - (i) सभी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिये साबुन/हैंडवाश एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय। कार्यस्थल पर साबुन/हैंडवाश की उपलब्धता स्वच्छ भारत मिशन (SBM)-ग्रामीण के Performance Incentive Grants Fund से किया जाय। कार्यस्थल पर राजमिस्त्री/मजदूरों को कार्य प्रारंभ के पूर्व, विश्राम के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त साबुन /हैंडवाश से अच्छे ढंग से हाथों को धोने तथा घर पहुँचने के बाद भी पुनः हाथ साफ करने के लिये प्रेरित किया जाय।

- (ii) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत निर्माण एवं जनजागरूकता कार्यों के क्रियान्वयन में Social Distancing का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।
 - (iii) व्यक्तिगत एवं संस्थागत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर (Community Sanitary Complex) निर्माण/जीर्णोद्धार/रेट्रोफिटिंगके क्रियान्वयन में Social Distancing बनाये रखने के लिये दो मजदूरों के बीच 6 फीट से अधिक की दूरी रखी जाय।
 - (iv) राजमिस्त्री/मजदूरों द्वारा घर से कार्य स्थल आनेजाने एवं कार्यस्थल पर कार्य करते समय Face Mask अथवा चेहरे को ढकने के लिए गमछा या छोटा तौलिया के उपयोग को सुनिश्चित किया जाए।
 - (v) कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को देखते हुये अस्वस्थ व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों से राजमिस्त्री या मजदूरी का कार्य नहीं लिया जाए।
 - (vi) Quarantine Centre/Isolation Ward से विमुक्त होनेवाले लोगों के मामले में विमुक्ति के पश्चात सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर ही कार्य में लगाया जाए।
 - (vii) व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्थिति में लाभार्थी या उसके परिवार के सदस्य द्वारा भी उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन कराया जाए।
 - (viii) कोरोना संक्रमण से बचाव तथा बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित पम्पलेट पर्याप्त मात्रा में मुद्रित करा संबंधित निर्माण क्षेत्र में बंटवाना सुनिश्चित करें।
3. कोरोना (Covid-19) संक्रमण प्रबंधन में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़े काफी संख्या में कर्मी यथा- जिला समन्वयक, जिला सलाहकार, प्रखंड समन्वयक, ऑपरेटर एवं स्वच्छाग्रही अपने नियमित कार्य के अलावा जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बने क्वारंटाइन सेंटर, कॉल सेंटर, जन जागरूकता अभियान, राहत सामग्री वितरण, अनुश्रवण आदि कार्यों में योगदान दे रहे हैं। Covid-19 संक्रमण से बचाव के लिए यह आवश्यक है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कर्मियों/स्वच्छाग्रहियों को संक्रमणरोधी उपकरण/संसाधन यथा- फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, हैंड सेनिटाइजर, साबुन आदि दिए जाएं।
4. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कर्मी/स्वच्छाग्रहियों द्वारा कार्यालय अथवा जनजागरूकता हेतु क्षेत्र भ्रमण के दौरान Social distancing, Face Mask पहनने, नियमित अंतराल पर हाथ धोने सहित Covid-19 संक्रमण बचाव हेतु सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए एवं समुदायों को शौचालय के सतत उपयोग के साथ-साथ कोरोना संक्रमण (Covid-19) से बचाव हेतु आवश्यक अनुदेशों का अनुपालन करने के प्रति जागृत किया जाए। इस संबंध में SPMU से प्राप्त आईईसी सामग्रियों द्वारा सोशल साइटस के माध्यम से जनजागृति लाई जाए।

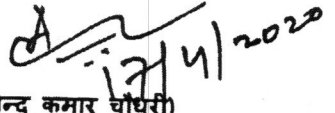


वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी सावधानी व सघन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। तदनुसार सभी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कमियों को एलएसबीए से इतर कार्यों में प्रतिनियुक्ति न किया जाए, जिससे एलएसबीए अंतर्गत योजनाओं को क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया जा सके।

अतः उपरोक्त अनुसार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों का क्रियान्वयन करवाते हुए बिहार राज्य को शत प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त बनाए रखने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन


(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

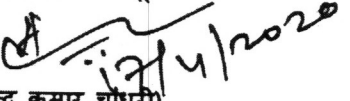
जापांक: 461109

दिनांक: 17.04.2020.

प्रतिलिपि: जिला समन्वयक/जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

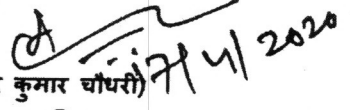
प्रतिलिपि: संबंधित उप विकास आयुक्त- सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ प्रेषित।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

जापांक: 461109

दिनांक: 17.04.2020

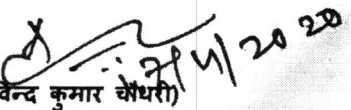
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

जापांक: 461109

दिनांक: 17.04.2020

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव

- 4 -

जापांक: 461109

दिनांक: 17.09.2020

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।


(अरविन्द कुमार घोषी)
प्रधान सचिव

जापांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि: मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


(अरविन्द कुमार घोषी)
प्रधान सचिव